# उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद
## U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
राजकीय उद्यान, करियप्पा मार्ग, आलमबाग, लखनऊ–226005
**Rajkiya Udhyan, Cariappa Road, Alambagh, Lucknow-226005**


पत्रांकः1114 / एनआरएम / डब्लूबीएसएलएएजी / पीएल / 2021 दिनॉकः 16.10.2025

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2025
समय : 12:00 बजे
स्थान : उपकार सभाकक्ष
उपस्थिति : संलग्न

## मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की पन्द्रहवीं बैठक की कृषकों के उपयोगार्थ संस्तुतियॉ

क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की वर्ष 2024–25 की पन्द्रहवीं बैठक डा. ए.के. सिंह, सचिव, उ.प्र. कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 को परिषद के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के राईस ब्रीडर व मौसम वैज्ञानिक; चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के मौसम वैज्ञानिक तथा व्हीट ब्रीडर; रेशम विभाग; आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ; भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ तथा उपकार के वैज्ञानिकों / अधिकारियों ने भाग लिया। उक्त के अतिरिक्त बैठक में कृषि विभाग एवं बी.एच.यू., वाराणसी के वैज्ञानिकों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

### प्रथम सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान (16 से 22 अक्टूबर, 2025)

भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना हैं।

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी–पूर्वी भाग, पूर्वी मैदानी के उत्तरी भाग एवं विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से (02 से 04 डिग्री से.) अधिक, उत्तर–पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के शेष भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री से.भावर तराई क्षेत्र के शेष भाग, पश्चिमी मैदानी एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यह 30 से 32 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 32 से 34 डिग्री से. रहने की संभावना है।प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री से. भाभर तराई क्षेत्र के शेष भाग, पश्चिमी मैदानी, मध्य पश्चिमी मैदानी, दक्षिणी–पश्चिमी अर्द्धशुष्क मैदानी, बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 20 से 23 डिग्री से. रहने की संभावना है।

### द्वितीय सप्ताह का मौसम दृष्टिकोण (24 से 30 अक्टूबर 2025)

इस सप्ताह के दौरान प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के उत्तर–पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी एवं विंध्य क्षेत्र के अधिकांश भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर–तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग तथा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग में औसत साप्ताहिक अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री से. भावर तराई एवं पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के

शेष भाग तथा मध्य पश्चिमी मैदानी एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश भाग में यह 30 से 32 डिग्री से. जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 32 से 34 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश के उत्तर–पूर्वी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग, पूर्वी मैदानी के पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य से आंशिक रूप से (01 से 02 डिग्री से.) अधिक जबकि प्रदेश के अन्य कृषि जलवायु अंचलों में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान सामान्य के आस–पास रहने की संभावना है।

प्रदेश के भाभर तराई क्षेत्र के पश्चिमी भाग, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग एवं मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भाग तथा बुन्देलखंड के दक्षिणी–पश्चिमी भाग में औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री से. उत्तर–पूर्वी मैदानी एवं पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अधिकांश भाग में यह 20 से 22 डिग्री से. जबकि अन्य कृषि जलवायु अंचलों में यह 18 से 20 डिग्री से. रहने की संभावना है।

प्रदेश में मौसम के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किसानों को अगले दो सप्ताह हेतु कृषि प्रबन्धन के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैंः–

- खरीफ फसलों की कटाई के बाद फसल अवशेष कदापि न जलायें। कृषि विभाग के बीज व कृषि रक्षा केन्द्रों से डीकम्पोजर प्राप्त कर फसल अवशेषों पर स्प्रे करके खेतों में सड़ाया जा सकता है। धान की कटाई के बाद खेत में पड़े अवशेष को केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ द्वारा विकसित जैविक फॉर्मुलेशन हैलो–केयर का प्रयोग कर खेत में ही अवशेषों को अपघटित किया जा सकता है जिससे फसल अवशेष का जैविक कार्बन और पोषक तत्वों का मिट्टी में पुर्नचक्रण होता है और मृदा की उर्वराशक्ति बढ़ती है।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये खेत की तैयारी हेतु भूमि एवं बीज जनित रोगों के नियंत्रण के लिये बायोपेस्टीसाइड (जैव कवकनाशी) ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 प्रतिशत डब्लू.पी. अथवा ट्राइकोडर्मा हारजिएनम 2 प्रतिशत डब्लू.पी. की 2.5 कि.ग्रा. प्रति हे. 60 से 75 कि.ग्रा. सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर 8–10 दिन तक छाया में रखने के उपरांत बुवाई के पूर्व आखिरी जुताई पर भूमि में मिला दें जिससे अनावृत कण्डुआ, करनाल बंट आदि रोगों के प्रबंधन में सहायता मिले।
- रबी फसलों की बुवाई के लिये चयनित किस्म का स्वस्थ, शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। बीज शोधन के बाद ही बुवाई करें।
- असिचिंत क्षेत्रों में संरक्षित नमी की अवस्था में दलहन व तिलहन की बुवाई करें
- आलू व गन्ने की बुवाई के लिये मौसम अनुकूल है अतः युद्धस्तर पर बुवाई करें।
- शरदकालीन गन्ना के साथ अन्तःफसल के रूप में आलू, लहसुन, पीली सरसों, सब्जी मटर, मसूर आदि की अन्तःफसली खेती अवश्य करें। अन्तःफसल की फसल ज्यादा वानस्पतिक फैलाव वाली नहीं होनी चाहिये।

## धान की खेती

- धान में फूल खिलने, दुग्धावस्था व दाने भरने की अवस्था में पर्याप्त नमी बनाये रखें।
- यदि फसल परिपक्वता अवस्था में हो तो धान के खेत में पानी का जमाव न होने दें।
- धान की बालियों का सुनहरा रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें अन्यथा दाना बिखरने से उत्पादकता में कमी आ सकती है। कटाई के बाद धान को सुरक्षित व सूखे स्थान पर रखें।
- धान में मिथ्या कण्डुआ (फाल्स स्मट) रोग के नियंत्रण हेतु प्रोपीकोनाजोल 25 ई.सी. की 500 मि. ली. अथवा नाटीवो 75 डब्लू.जी. की 300 मि.ली. मात्रा को 500 ली. पानी के साथ बाली निकलते समय पहला एवं दूसरा छिड़काव 12 से 15 दिन के अंतराल पर करें।
- तना बेधक कीट व भूरा फुदका के नियन्त्रण हेतु कार्बोफ्यूरान 3 सी.जी. 20 किग्रा. अथवा कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी 20 किग्रा. 3–5 सेमी. स्थिर पानी में बुरकाव करें अथवा क्लोरपाइरीफास 20 प्रतिशत ई.सी. की 1.5 लीटर मात्रा प्रति हे. 500–600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।

## गेहूँ की खेती

- गेहूँ की असिंचित/सीमित सिंचाई की दशा में बुआई का समय 25 अक्टूबर से 05 नवम्बर है। अतः गेहूँ की संस्तुत किस्मों जैसे– के. 1317, के. 1616, एच.आई. 1612, डीबीडब्लू.–252 (करण श्रेया), पूसा गेहूं–3369 (एच.डी. 3369), डीबीडब्लू 359 (करण शिवांगी), पूसा कीर्ति (एच आई–8830), डी.बी.डब्लू.–296 (करण ऐश्वर्या) आदि के बीज की व्यवस्था करें।
- कठिया गेहूँ की खेती के लिये संस्तुत किस्में यथा आरनेज 9–30–1, मेघदूत, विजगा यलो जे.यू. –12, जी.डब्लू. 2, एच.डी. 4672, सुजाता, एच.आई. 8627 आदि के बीज की व्यवस्था करें ताकि इसकी बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में की जा सकें।

## जौ की खेती

- जौ की असिचिंत दशा में बुवाई का समय 20 अक्टूबर से 10 नवम्बर है। असिचिंत दशा हेतु जौ की संस्तुत किस्में यथा के–603 (नर्मदा), के–226 (लखन), के–125 (आजाद), के–1149 (गीतांजली), एनडीबी–1173 की बुवाई हेतु बीज की व्यवस्था करें।

## तिलहनी फसलों की खेती

- राई/सरसों की सिंचित क्षेत्रों के लिये संस्तुत समय से बोई जाने वाली किस्में यथा पूसा सरसों–34, पूसा सरसों–32, वरूना (वी–डब्लूआरआर–2), सी5–64 (सीएस2005–143), पूसा ओओएम–36 (पीडीजेड–15), बीएमपी–II (डीआीएमआर), आजाद महक, सुरेखा (केएमआर–16–02) की बुवाई करें।
- बुवाई के समय उर्वरकों की संस्तुत मात्रा नत्रजन 120 कि.ग्रा., फास्फेट–60 कि.ग्रा., पोटाश–60 कि.ग्रा./हे. की दर से प्रयोग करें। फास्फोरस का प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में करें क्योकि इससे सल्फर की उपलब्धता भी हो जाती है।
- राई सरसों में बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु मेटालेक्जिल एम 35 प्रतिशत डब्लू एस की 2 ग्रा./कि.ग्रा की दर से बीज को उपचारित करके बोयें इससे सफेद गेरूई एवं तुलासिता रोग की प्रारंभिक अवस्था में रोकथाम होगी।
- अलसी की बीज उद्देश्यीय प्रजातियों यथा रजनी (एलसीके–1009), यूटेरा (आरएलसी–153), जेएलएस–95 तथा समय से बोई जाने वाली प्रजातियों यथा बीयूएटी अलसी–4, कोटा अलसी–6, राजन (एलसीके–1009, उत्तेरा अलसी–2, इंदु तथा द्विउद्देश्यीय प्रजातियों यथा आजाद प्रज्ञा, रूचि, पार्वती आदि की बीज की व्यवस्था करें, ताकि इनकी बुवाई अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में की जा सके।

## दलहन की खेती

- चना की असिंचित दशा हेतु संस्तुत किस्म यथा गुजरात चना–4 की बुवाई सुनिश्चित करें।
- मटर की किस्मों यथा आईपीएफडी–12–8, आईपीएफडी–13–2 (अनंत), एचएफपी–1428, पंत मटर–347, आई.एफ.डी.–16–3, आईपीएफडी–19–1 (शिखर), आईपीएफडी–19–3, आईपीएफडी–18–3 की बुवाई करें।
- मसूर की किस्मों यथा आई.पी.एल.–230, आई.पी.एल.–321, आई.पी.एल.–329, आई.पी.एल.–225, आई.पी.एल.–321, के.एल.एस.–122 (शेखर–5), के.एल.एस. 09–3 (कृषि), कोटा मसूर–4 (आरकेएल–58एफ3715), पंत मसूर–11 (पीएल–164), आदि की बुवाई करें।
- बुवाई से पूर्व 10 कि.ग्रा. बीज को मसूर के 01 पैकेट 200 ग्रा. राईजोबियम लेग्यूमिनोसेरम कल्चर से उपचारित करें विशेषकर उन खेतों में जिनमें पहले मसूर नहीं बोई गई है।

## रबी मक्का की खेती

- रबी मक्के की संकर किस्मों यथा एल.जी.–32.81 (युवराज गोल्ड), पी.एम.एच.–3, एच.क्यू.पी.एम. –1, सीडटेक–2324, शक्तिमान–1, बुलंद; संकुल किस्मों यथा शियाट्स मक्का–3, शरदमणि, शक्ति–1; लावा की किस्में पर्ल पॉपकार्न, अम्बर पॉपकार्न; स्वीट कार्न की किस्में प्रिया स्वीट एवं माधुरी स्वीटकार्न की बुवाई करें।

## गन्ना की खेती

- गन्ना की शीघ्र परिपक्वता वाली उच्च शर्करायुक्त किस्में को. लख.–94184, को. लख.–14201, को. लख.–16202, को. शा. 17231, को. 15023 तथा मध्य देर से परिपक्वता वाली किस्में यथा को. लख–14204, पंत–97222, सी.ओ.–0118, सी.ओ.–15023, को. लख.–09204 की किस्मों की बुवाई करें।
- जिन कृषकों का खेत खाली हो तथा उसमें पर्याप्त नमी भी हो, उसे शीघ्र तैयार कर शरदकालीन गन्ना की बुवाई करें। खेत की तैयारी करते समय उपलब्ध हो तो उसमें जैविक खाद, कम्पोस्ट, गोबर की खाद या प्रेसमेड खाद का प्रयोग अवश्य करें।
- शरदकालीन गन्ने के साथ अंतःफसल की बुवाई हेतु गन्ना बुवाई के तुरंत बाद गन्ने की 02 लाइनों के बीच 02 लाइन आलू, 02 लाइन सरसों, 02 लाइन सब्जी मटर, मसूर, फूलगोभी तथा पत्तागोभी की 02–02 लाइन तथा 03 लाइन लहसुन की बुवाई करें।
- गन्ने के टुकड़ों को बावस्टिन से उपचारित करके ही बुवाई करें।
- गन्ने की अंतःफसली खेत हेतु गन्ने की बुवाई ट्रेंच विधि से करें।
- जिन कृषकों का खेत अभी खाली नहीं है वह सिंगल बड विधि द्वारा नर्सरी तैयार कर खेत खाली होने पर तैयार पौध की रोपाई करें।
- खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 2 किग्रा./हे. की दर से बुवाई के तीन दिन के अन्दर स्प्रेयर (फ्लैटपैन नाजिल सहित) से समान रूप से छिड़काव करें।
- गन्ने की खड़ी फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरपायरीफास 20 ई.सी. (6.25 ली./हे.) रसायन का 1500–1600 लीटर पानी में घोल बनाकर जड़ के पास छिड़काव करें।

## आलू की खेती

- बुवाई के 7–10 दिन पहले शीत भण्डार से बीज आलू को बाहर निकालें। शीत भण्डारण में भण्डारित बीज आलू में यदि अंकुर निकल आये तो उनको छॉटकर अलग कर दें। यदि शीत गृह में भण्डारण करने से पूर्व बीज आलू उपचारित न किया गया हो तो शीतगृह से आलू निकालकर छांटने के तुरन्त बाद आलू के कन्दों को बोरिक एसिड के 3 प्रतिशत घोल से 30 मिनट तक उपचारित करके छायादार स्थान में सुखा लें। अंकुरित बीज आलू को उपचारित न करें।
- आलू की मुख्य फसल हेतु उन्नत किस्मों यथा कुफरी बहार, कुफरी बादशाह, कुफरी आनन्द, कुफरी सतलज, कुफरी चिप्सोना–1, कुफरी चिप्सोना–3, कुफरी लालिमा, कुफरी सूर्या व कुफरी सदाबहार की बोआई करें।
- आलू बीज उत्पादन हेतु सम्पूर्ण कन्द की बुआई सुनिश्चित करें।
- प्रदेश के जनपदों को उच्च गुणवत्तायुक्त आलू बीज का आंवटन किया जा चुका है। कृषक आवश्यकतानुसार सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारियों से विभागीय मूल्य पर आलू बीज क्रय कर सकते हैं।

## सब्जियों की खेती

- रबी सब्जियों यथा फूलगोभी, पातगोभी, शिमला मिर्च, टमाटर आदि की नर्सरी डालने का समय है तथा पूर्व में रोपित पौध में निराई–गुड़ाई, मिट्टी चढ़ाना, टॉप ड्रेसिंग एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करें।
- मटर की अगेती किस्मों यथा अर्किल, पंत मटर–155, पूसा श्री, काशी नन्दिनी, अर्ली बैजर, काशी अगेती, पूसा मटर 3, आजाद मटर आदि की बुवाई करें।
- लहसुन की उन्नतशील किस्मों यथा एग्रीफाउण्ड व्हाइट, यमुना सफेद (जी–1), यमुना सफेद–2 (जी–50), यमुना सफेद–3 (जी–282), पन्त लोहित एवं एग्रीफाउण्ड पार्वती की बुवाई करें।

- रबी प्याज की संस्तुत प्रजातियों यथा भीमा किरन, भीमा शक्ति, भीमा श्वेता, कल्याणपुर लाल गोल, पूसा रत्नार, एग्रीफाउण्ड लाइट रेड, एग्रीफाउण्ड व्हाइट, अर्का निकेतन, अर्ली ग्रेनो तथा संकर प्रजातियों यथा एक्स केलीवर, बरगण्डी, केपी, ओरिएण्ट, रोजी की नर्सरी डालने हेतु बीज की व्यवस्था करें।
- पालक, मूली, शलजम, चुकन्दर, गाजर की संस्तुत प्रजातियों की बुवाई करें।
- मसाले वाली फसलें जैसे–धनिया, सौंफ, मेथी, कलौंजी, अजवाइन, जीरा तथा सोया की बुवाई का उचित समय है।
- फूलगोभी तथा पातगोभी की खड़ी फसल में 50 किग्रा. यूरिया/हे. की दर से टापड्रेसिंग करें।

**बागवानी**

- केले में वर्तमान मौसम में बीटिल कीट को प्रकोप होता है जिसके नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस (1.25 मि.ली. प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें अथवा कार्बोफ्यूरॉन 3 से 4 ग्राम प्रति पौधे की दर से गोफे में तथा मिट्टी में मिलायें।
- केला में पर्णचित्ती एवं एन्थ्रेकनोज रोग के नियंत्रण हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- आम में रेड रस्ट एवं ऐन्थ्रेकनोज के नियंत्रण के लिए कॉपर आक्सीक्लोराईड (3 ग्राम/लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- आम में गुम्मा व्याधि का संक्रमण होने पर एन0ए0ए0 200 पी0पी0एम0 (200 मि0ली0/ली0 अथवा प्लेनोफिक्स 4 मिली0/9 लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- आम के बाग में प्रथम 10 वर्षों तक अधिक लाभ के लिए अन्तः फसल के रूप में आलू, मिर्च, टमाटर, मटर, लोबिया तथा ग्लैडियोलस की खेती करें।
- ऑवले में फल सड़न रोग की रोकथाम हेतु बोरेक्स (6–8 ग्राम/लीटर पानी) को छिड़काव करें तथा उर्वरकों की संस्तुत मात्रा का थालों में प्रयोग करें।
- नींबू में कैंकर रोग से बचाव हेतु कॉपर आक्सीक्लोराइड 3 ग्राम अथवा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 600 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

**चारा की खेती**

- बरसीम की बुवाई से पूर्व बरसीम बीज को 5 प्रतिशत नमक के घोल में बीज को डालकर तैर रहे ऊपर से कासनी के बीज को हटा दें। बरसीम बीज को साफ पानी से 3–4 बार धुल दें।
- वरदान, मेस्काबी, बुन्देलखण्ड बरसीम (जे.एच.बी.–146), बुन्देलखण्ड बरसीम (जे.एच.टी.बी.–146) तथा बी.एल.–10 प्रजाति के बरसीम बीज को 250 ग्रा. राईजोबियम कल्चर/10 कि.ग्रा. बीज की दर से उपचारित करें तथा 25–30 कि.ग्रा. बरसीम बीज के साथ 1 कि.ग्रा. टाइप–9 सरसों के बीज को मिलाकर प्रति हे. की दर से बुवाई करें जिससे पहली कटाई में अधिक चारा उत्पादन हो।
- जई की विभिन्न प्रजातियों जैसे कैन्ट, बुन्देल जई–99–2, नरेन्द्र जई, बुन्देल जई–822 एवं बुन्देल जई–851 की बुवाई करें। बुन्देल जई–822 बुन्देलखण्ड के लिए उपयुक्त है शेष प्रजातियॉ पूर्ण उ.प्र. के लिए उपयुक्त हैं।

**पशुपालन**

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खुरपका एवं मुंहपका (एफ.एम.डी.) बीमारी का टीकाकरण प्रदेश के समस्त जनपदों में निःशुल्क कराया जा रहा है जिसका लाभ कृषक/पशुपालक अपने जनपदीय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी या निकटस्थ से सम्पर्क कर उठा सकते है।
- प्रदेश के उन जिलों में जो अन्य प्रदेश से लगे हुये है, पशुओं में लम्पी त्वचा रोग का टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार के साथ निःशुल्क कराया जा रहा है। अतः पशुपालक इसका लाभ उठायें।

- प्रजनन संबंधी समस्त रोगों के निराकरण हेतु पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि हरा चारा, भूसा, पशु आहार के अतिरिक्त खनिज लवण अवश्य खिलायें।

**मत्स्य पालन**

- कार्प मछलियों की 50 मिमी. अथवा अधिक आकार की 10000 स्वस्थ अंगुलिकायें प्रति हे. की दर से संचय की जा सकती है।
- छः प्रजातियों के मिश्रित पालन में कतला 10 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत, मृगल 15 प्रतिशत, सिल्वर कार्प 20 प्रतिशत, ग्रास कार्प 10 प्रतिशत, कामन कार्प 15 प्रतिशत का संचय अनुपात उचित होता है।
- तालाब में यदि 4 प्रजातियों का पालन किया जाता है तो कतला 30 प्रतिशत, रोहू 25 प्रतिशत, नैन 20 प्रतिशत व कॉमन कार्प 25 प्रतिशत का संचय अनुपात उचित होता है। तीन प्रजातियों के पालन में कतला 40 प्रतिशत, रोहू 30 प्रतिशत व नैन 30 प्रतिशत का संचय अनुपात होना चाहये।
- तालाब में फाइटोप्लेटान, जूप्लेक्टान मछलियों के प्राकृतिक भोजन होते है जिनका उत्पादन कार्बनिक खाद व रासायनिक उर्वरक के प्रयोग फलस्वरूप होता है।
- तालाबों में बुझा चूना 250 कि.ग्रा./हे. एवं गोबर की खाद 1 टन/हे. डलवा दें।

**रेशम पालन**

- शहतूती, टसर एवं एरी कीटाण्ड कीट पालन का कार्य प्रगति पर है। अतः कीटपालकों को सुझाव दिया जाता है कि कीट पालन के समय साफ–सफाई एवं आवश्यकतानुसार रेशम कीट औषधि जैसे विजेता या आर.के.ओ. का छिड़काव करें, जिससे कीटों में आने वाली बीमारियों को रोका जा सकें।
- कृषक/कीटपालक ई–डिस्ट्रिक विभागीय यू.आर.एल. ***http://sericulture.eservicesup.in*** पर अपना पंजीकरण कराते हुये आवश्यक कीटाण्ड मात्रा आरक्षित करा लें। किसी भी प्रकार की असुविधा/जानकारी के लिये दिये गये नंबर पर सम्पर्क करें 7388305554 ।

**वानिकी**

- ऊँचे जल स्तर वाले क्षेत्रों में युकेलिप्टिस लगायें। कृषि के साथ कम छाया वाले वृक्ष जैसे–पापुलर, युकेलिप्टस, सुबबूल लगायें।

**राज्य आपदा प्रबंधन**

- किसान भाईयों दीपावली के पर्व पर अग्निकांड की दुर्घटना होने पर निम्नलिखित दिये गये सुझावों को अपना कर खुद का एवं पडोसियों का ख्याल रखें:–
- अग्निकांड की स्थिति में शांत रहें, घबराएं नहीं तथा निकटतम उपलब्ध निकास मार्गों का उपयोग करें।
- आग लगने की स्थिति में पीड़ित को कंबल मे ंतब तक लपेटें, जब तक आग बुझ न जाए।
- जले हुए स्थान पर चिपकने वाली पट्टी न लगाएं।

**नोटः–** क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की बैठक की संस्तुतियां वेबसाईट *upcar.up.gov.in* पर भी उपलब्ध हैं।

- क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप की संस्तुतियां कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा एफ.पी.ओ. को प्रेषित की जा रही हैं, इनसे अनुरोध है कि यदि इनके कोई सुझाव हो तो परिषद के ईमेल upcar12@gmail.com पर प्रेषित करने का कष्ट करें जिससे आगामी बैठकों में उनके सुझावों पर चर्चा कर संस्तुतियां दी जा सकें।

**(ए.के. सिंह)**
सचिव

**प्रतिलिपिः उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन को माननीय राज्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, को माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
5. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. शासन को महोदय के सूचनार्थ।
6. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, उ.प्र. शासन, लखनऊ।
7. अपर मुख्य सचिव, उद्यान, उ.प्र. शासन।
8. अपर मुख्य सचिव, पशुपालन, उ.प्र. शासन।
9. अपर मुख्य सचिव, मत्स्य, उ.प्र. शासन।
10. अपर मुख्य सचिव, रेशम, उ.प्र. शासन।
11. अपर मुख्य सचिव, नियोजन योजना भवन, लखनऊ।
12. कुलपति, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर, आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ, बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा, सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
13. गन्ना आयुक्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय, 17 न्यू बेरी रोड, गन्ना किसान संस्थान, डालीबाग, लखनऊ।
14. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उ.प्र., केसरबाग, लखनऊ।
15. राहत आयुक्त, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि वह ग्राम प्रधान को समूह की संस्तुतियां प्रेषित करेगें।
16. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
18. निदेशक कृषि, कृषि भवन, लखनऊ।
19. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
20. निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ।
21. निदेशक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, लखनऊ।
22. अध्यक्ष, केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ।
23. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
24. निदेशक, रेशम, रेशम विभाग, गोमती नगर, लखनऊ।
25. निदेशक, मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
26. निदेशक, उद्यान, उद्यान विभाग, लखनऊ।
27. निदेशक, पशुपालन, पशुपालन विभाग, लखनऊ।
28. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
29. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, नरही, लखनऊ।
30. प्रबन्ध निदेशक, बीज विकास निगम, बादशाहनगर, लखनऊ।
31. निदेशक, सांख्यिकी, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।
32. निदेशक प्रसार, च.शे.आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर/ आ.न.दे.कृ. एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या/ सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मोदीपुरम, मेरठ/ बॉदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बॉदा/ सै. हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज।
33. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ।
34. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ।
35. निदेशक, रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेण्टर, सेक्टर जी, जानकीपुरम, कुर्सी रोड, लखनऊ।

36. निदेशक, कृषि मौसम, मौसम केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
37. निदेशक सूचना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
38. अपर कृषि निदेशक(सामान्य), कृषि निदेशालय, कृषि भवन, लखनऊ।
39. अपर कृषि निदेशक, प्रसार, कृषि भवन, लखनऊ।
40. अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, कृषि भवन, लखनऊ।
41. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण, कृषि भवन, लखनऊ को किसान कॉल सेंटर के उपयोगार्थ प्रेषित।
42. कृषि विभाग के सभी संयुक्त कृषि निदेशक, उप कृषि निदेशक एवं जिला कृषि अधिकारी
43. प्रदेश के 20 कम्युनिटी रेडियो।
44. प्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र
45. प्रदेश के 1500 एफ.पी.ओ.
46. किसान मित्र चैट बॉट, कृषि समृद्धि टीम, कृषि विभाग, लखनऊ।
47. बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारी/वैज्ञानिक।
48. निजी सचिव महानिदेशक, उपकार को महानिदेशक महोदय के सूचनार्थ।

**(विनोद कुमार तिवारी)**
वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव

संलग्नक

## मौसम आधारित राज्य स्तरीय कृषि परामर्श समूह (क्राप वेदर वाच ग्रुप) की वर्ष 2024–25 की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2025 की उपस्थिति

1. डा. ए.के. सिंह, सचिव, उपकार, लखनऊ।
2. श्री अतुल कुमार सिंह, प्रभारी वैज्ञानिक, आंचलिक भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, अमौसी, लखनऊ।
3. डा. टी.के. श्रीवास्तव, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी मौसम विभाग, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली रोड, लखनऊ।
4. डा. विनोद कुमार तिवारी, वैज्ञानिक अधिकारी एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
5. डा. सोमवीर सिंह, व्हीट ब्रीडर, सेक्शन ऑफ रबी सीरियल, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. डा. सौरभ दीक्षित, राईस ब्रीडर, क्राप रिसर्च स्टेशन, मसौधा, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
7. श्री के.पी.सिंह, उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (ऑनलाइन)।
8. डा. प्रिया रंजन कुमार, सह प्राध्यापक (पशु चिकित्सा स्त्री रोग), बी.एच.यू. वाराणसी (ऑनलाइन)।
9. डा. जे. जॉरबेन, सहायक प्राध्यापक (अनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग), बी.एच.यू. वाराणसी (ऑनलाइन)।
10. श्री अमरनाथ मिश्र, सहायक प्राध्यापक (कृषि मौसम), आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या।
11. डा. एस.एन. पाण्डेय, एग्रोमेट्रोलाजिस्ट/नोडल ऑफिसर चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
12. डा. अनुष्का पाण्डेय, प्रोग्राम मैनेजर, क्राप वेदर वॉच ग्रुप, उपकार, लखनऊ।
13. डा. हिमांशु तिवारी, तकनीकी सचिव महानिदेशक, उपकार, लखनऊ।
14. श्री अभिजीत, वैज्ञानिक अधिकारी (कृषि प्रसार), उपकार, लखनऊ।
15. श्री प्रेमचंद चौरसिया, वैज्ञानिक अधिकारी, उपकार, लखनऊ।
16. श्रीमती कविता सिंह पटेल, सहायक रेशम विकास अधिकारी, रेशम विभाग, लखनऊ।
17. श्री प्रतीक कुमार, तकनीकी अधिकारी, शुआट्स, प्रयागराज।
18. श्री अजय कुमार मिश्रा, तकनीकी अधिकारी, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानर।